सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	भाद्र 23, सोमवार, शाके 1942- सितम्बर 14, 2020 *Bhadra 23, Monday , Saka 1942- September 14, 2020*	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 14, 2020

संख्या प.2(23)विधि/2/2020.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 16)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को प्राप्त हुई)

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह 13 मई, 2020 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 3-ख का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की विद्यमान धारा 3-ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"3-ख. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के लिए और प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के शमन के लिए अधिभार.- (1) अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन शुल्क से प्रभार्य समस्त लिखतें ऐसी दर पर अधिभार से प्रभार्य होंगी, जो ऐसी लिखतों पर इस अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन प्रभार्य शुल्क के बीस प्रतिशत से अधिक न हो, जो राज्य सरकार द्वारा गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए या सूखा, बाढ़, महामारी, लोक स्वास्थ्य अत्यावश्यकताओं, अग्नि इत्यादि जैसी प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के शमन के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित की जाये।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रभार्य अधिभार धारा 3 के अधीन प्रभार्य किसी शुल्क और धारा 3-क के अधीन प्रभार्य किसी अधिभार के अतिरिक्त होगा।

(3) उप-धारा (1) में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उप-धारा (1) के अधीन प्रभार्य अधिभार के संबंध में इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक हो सके, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे धारा 3 के अधीन प्रभार्य शुल्क के संबंध में लागू होते हैं।

(4) उप-धारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय अधिभार के संग्रहण के लिए, और उस व्यक्ति के, जिसके माध्यम से अधिभार संगृहीत किया जाता है, कर्तव्यों और पारिश्रमिक को विनियमित करने के लिए, नियम बना सकेगी।

(5) इस धारा के अधीन संगृहीत अधिभार का उपयोग गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए या सूखा, बाढ़, महामारी, लोक स्वास्थ्य अत्यावश्यकताओं, अग्नि इत्यादि जैसी प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के शमन के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।"।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 4) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, September 14, 2020

No. F. 2(23)Vidhi/2/2020.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Stamp (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (2020 Ka Adhiniyam Sankhyank 16):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN STAMP (AMENDMENT) ACT, 2020

(Act No. 16 of 2020)

(Received the assent of the Governor on the 11th day of September, 2020)

An
Act

further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Stamp (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 13th May, 2020.

2. Amendment of section 3-B, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- For the existing section 3-B of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the following shall be substituted, namely:-

"**3-B. Surcharge for conservation and propagation of cow and its progeny and for mitigating natural or man-made calamities.-** (1) All instruments chargeable with duty under section 3 read with Schedule to the Act, shall be chargeable with surcharge at such rate not exceeding 20 percent of the duty chargeable on such instruments under section 3 read with Schedule to the Act, as may be notified by the State Government, for the purpose of conservation and propagation of cow and its progeny, or for the purposes of mitigating natural or man-made calamities like drought, flood, epidemic, public health exigencies, fire etc.

(2) The surcharge chargeable under sub-section (1) shall be in addition to any duty chargeable under section 3 and any surcharge chargeable under section 3-A.

(3) Except as otherwise provided in sub-section (1), provisions of this Act shall, so far as may be, apply in relation to the surcharge, chargeable under sub-section (1) as they apply in relation to the duty chargeable under section 3.

(4) Save as provided in sub-section (3), the State Government may make rules for collection of surcharge leviable under this section and for regulating the duties and remuneration of the person through whom surcharge is collected.

(5) The surcharge collected under this section shall be utilized for the purpose of conservation and propagation of cow and its progeny, or for the purposes of mitigating natural or man-made calamities like drought, flood, epidemic, public health exigencies, fire etc.".

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Stamp (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 4 of 2020) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।